अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 175, पोर्ट ब्लेयर, शुक्रवार, 29 जून, 2012

No. 175, Port Blair, Friday, June 29, 2012

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 29 जून, 2012

सं. 171/2012/फा.सं. 3–53/2010–यू. डी.–चूँकि, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (नगरपालिका) विनियम, 1994 की धारा 202 की उप–धारा (3) के साथ पठित उसी की उप–धारा (1) तहत मसौदा अधिसूचना दावा और आपत्तियाँ आमंत्रित करते हुए पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद विज्ञापन उप–विधियों में संशोधन के लिए "दि डेली टेलिग्राम्स" के दिनांक 21.07.2010 के अंक में आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित की गई थी।

और, चूँकि, आम जनता से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की जाँच की गई और उस पर उचित विचार किया गया।

अतः, अब, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (नगरपालिका) विनियम, 1994 की धारा 202 की उप–धारा (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के दिनांक 9.7.1999 की अधिसूचना सं. 78/99/फा.सं. 3–53/97–एल एस जी के अनुसार प्रकाशित पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद विज्ञापन उप–विधि में आगे और संशोधन के लिए निम्नलिखित उप–विधि की पुष्टि करते हैं।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

   (i) इन उप–नियमों को पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद विज्ञापन उप–विधि (संशोधन) उप विधि, 2012 कहा जाएगा।

   (ii) ये उप–नियम इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. दिनांक 9 जुलाई, 1999 की अधिसूचना सं. 78/99/फा.सं. 3–53/97–एल एस जी के अनुसार प्रकाशित पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद विज्ञापन उप–विधि के उप–नियम 5 के उप–विधि (क) के खण्ड (1) के तहत् विद्यमान प्रविष्टि को निम्नलिखित प्रविष्टि से प्रतिस्थापित किया जाएगा, इसके बाद इसे मूल उप–विधि कहा जाएगा।

   "20 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले बोर्ड अथवा साइन के लिए प्रति वर्ष ₹ 9000/–

3. मूल उप–विधि के उप–विधि 5 के (1) के उप-खण्ड (ख) के तहत् विद्यमान प्रविष्टि को निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

   "20 वर्ग फीट से 100 वर्ग फीट तक क्षेत्रफल वाले बोर्ड, साइन अथवा होर्डिंग के लिए ₹ 27,000/–प्रति वर्ष"

4. मूल उप–विधि के उप–विधि 5 के खण्ड (1) के उप–खण्ड (ख) के बाद निम्नलिखित उप–खण्डों को शामिल किया जाएगा :–

   "(ख) (i) 100 वर्ग फीट से 200 वर्ग फीट तक के सरफेस ऐरिया के बोर्ड, साईन अथवा होर्डिंग्स के लिए ₹ 54 ,000/– प्रति वर्ष"

   "(ख) (ii) 200 वर्ग फीट से अधिक तक सरफेस ऐरिया के बोर्ड, साईन अथवा होर्डिंग्स के लिए ₹ 54,000/– प्रति वर्ष और प्रति अतिरिक्त वर्ग फीट के लिए ₹ 500/–"

5. मूल उप–विधि 5 के उप–विधि के खण्ड (1) के उप–खण्ड (ग) के तहत् विद्यमान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित पविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी ;
"6 फीट X 3 फीट आकर के बैनरों के लिए 3 दिन तक ₹ 180/– और अनुक्रमिक दिनों के लिए ₹ 20/– "

6. मूल उप–विधि के उप–विधि 5 के खण्ड (1) के उप–खण्ड (घ) के तहत् विद्यमान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;
"6 फीट X 3 फीट साइज के बैनरों के लिए ₹ 360/– तीन दिन तक के लिए ₹ 50/– क्रमवार दिवस के लिए"।

7. उप–विधि 5 के खण्ड (1) के उप–खण्ड (घ) के तहत् विद्यमान प्रविष्टि में संशाधन कर निम्नलिखित पविष्टियाँ परतुक जोडा जाएगा :–
"परंतु शर्त यह है कि परिषद होर्डिंग्स स्थापित कर सकते हैं और परिषद के निर्णय के अनुसार वार्षिक आधार पर इस पट्टे पर दे सकते हैं"।

8 विद्यमान मूल उप–विधि के उप–विधि 5 के खण्ड (1) के उप–खण्ड (ङ) को हटाया जाएगा।

9. मूल उप–विधि के उप–विधि 5 के खण्ड (2) के तहत् विद्यमान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :–
"5(1) (क) के लिए वार्षिक भाडा ₹ 900/–
"5(1) (ख) के लिए ₹ 4500/–
"5(1)(ख) (i) के लिए ₹ 9000/–
"5(1) (ख) (i) और 5(1) (ख) (ii) के लिए ₹ 9000/– तथा प्रत्येक अतिरिक्त फीट फैलाव के लिए ₹ 50/– परिषद/सरकारी सम्पत्ति जिस पर बोर्ड, होर्डिंग्स, सूचना पट्ट अथवा बैनर आदि लगा हो, के लिए ₹ 50/– उक्त शुल्क के अलावा प्रभारित किया जाएगा। अन्य मामले में आवेदक को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भूमि/भवन के मालिक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना होगा"।

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) भूपेन्द्र सिंह
उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
के आदेश तथा उनके नाम पर,

ह./–
संयुक्त सचिव (लो.नि./श. वि.)

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 29th June, 2012

No. 171/2012/F.No. 3-53/2010-UD.— Whereas, the draft Notification inviting claims and objections under Sub-section (1) read with Sub-section (3) of Section 202 of the Andaman and Nicobar Islands (Municipal) Regulations, 1994 for amending the Port Blair Municipal Council Advertisement Bye-laws was published in "The Daily Telegrams" in its issue dated 21.07.2010 for information of the General Public.

AND, WHEREAS, the objections/suggestions received from the general public within specified period have been examined and given due consideration.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 202 of the Andaman and Nicobar Islands (Municipal) Regulations, 1994, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands has been pleased to confirm the following Bye-laws further to amend the Port Blair Municipal Council Advertisement Bye-laws published vide Notification No. 78/99/F.No 3-53/97-LSG dated 09.07.1999.

1. Short Title and Commencement :-

   I. These Bye-laws shall be called Port Blair Municipal Council Advertisement Bye-laws (Amendment) Bye-laws, 2012.

   II. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the existing entry under Sub-Rule (a) of Clause (1) of Bye-laws 5 of the Port Blair Municipal Council Advertisement Bye-laws published vide Notification No. 78/99/ F. No. 3-53/97-LSG dated 9th July, 1999 (hereinafter called the "Principal Bye-laws"), the following entries shall be substituted.

   "for a board or sign having a surface area not more than 20 sq. ft... ₹ 9000/- per year"

3. For the existing entry under Sub-Clause (b) of Clause (1) of Bye-laws 5 of the Principal Bye-laws, the following entries shall be substituted:

   "for a board, sign or hoardings having a surface area exceeding 20 sq. ft. and upto 100 sq. ft.... ₹ 27,000/- per year"

4. After Sub-Clause (b) of Clause (1) of Bye-laws 5 of the Principal Bye-laws the following Sub-Clauses shall be inserted:

   "(b) (i) : for a board, sign or hoardings having a surface area exceeding 100 sq. ft. and upto 200 sq. ft.... ₹ 54,000/- per year"

   "(b) (ii) : for a board, sign or hoardings having a surface area exceeding 200 sq. ft. 200 sq. ft..... ₹ 54,000/- per year" and ₹ 500/- per additional sq. ft.

5. For the existing entry : under Sub-Clause (c) of Clause (1) of Bye-laws 5 of the Principal Bye-laws the following entries shall be substituted :

   "Banners having a size of 6 feet x 3 feet.... ₹ 180/- upto three days and ₹ 20/- for successive days".

6. For the existing entry under Sub-Clause (d) of Clause (1) of Bye-laws 5 of the Principal Bye-laws the following entries shall be substituted :

   "Banners having a size above of 6 feet x 3 feet.... ₹ 360/- upto three days and ₹ 50/- for successive days".

7. In the existing entry under Sub-Clause (d) of Clause (1) of Bye-laws 5 amended the following proviso shall be added :

   "Provided further that the Council may erect the hoardings and lease out the same on annual basis in the manner as may be decided by the Council".

8. The existing Sub-Clause (e) of Clause (1) of the Bye-laws 5 of the Principal Bye-laws shall be deleted.

9. For the existing entry under Clause (2) of Bye-laws 5 of the Principal Bye-laws the following shall be substituted :

   "Annual rent of ₹ 900/- for 5(1)(a), ₹ 4500/- for 5(1)(b). ₹ 9,000/- for 5(1)(b)(i) and for 5(1)(b)(ii), ₹ 9,000/- + ₹ 50/- per additional running ft. shall be charged in addition to above fees for the use of the properties belonging to the Council/Government on which the Board, Hoardings, Sign or Banner is erected. In other cases, a No Objection Certificate from the owner of the land/building shall invariably be produced to the Council by the applicant for issue of license"

Lt. Gen. (Retd.) Bhopinder Singh
Lieutenant Governor,
Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor, A & N Islands.

Sd./-
(Sumit Chaudhuri)
Joint Secretary (PWD/UD)

MGPPB—175/Gazette/2012—50 Copies (DR HCL-VP)